Regd. No. CHD/0093/2012-2014



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 18, 2014 (ASADHA 27, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2014

संख्या 25/7/2097-6HB1.:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

भाग-1 - सामान्य

(1) ये नियम हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

- (ख) 'सीधी भर्ती' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार।
- (घ) 'संस्था' से अभिद्राय है:--
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
- (ड.) 'मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय' से अभिपाय है -
 - (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालयय या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा -

Price : Rs. 5.00

(2695)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

परिभाषाएं।

| 2696 | HARYANA GOVI. | (EXTRA.), JULY 18, 2014 (ASAR. 27, 1936 SAKA) |
|---|---|--|
| | (च) "र | अभिप्राय है, हरियाणा सिविल चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा। |
| | | भाग–II – सेवा में भर्ती |
| पदों की संख्या तथा | 3. सेवा में इ | के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे : |
| उनका स्वरूप। | | ही कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और गयी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं |
| सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की | 4. (1) कोई न हो,— | , सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित |
| राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र। | (क) भा | नागरिक ; या |
| | (ख) ने | प्रजा ; या |
| | (ग) भृ | प्रजा ; या |
| | 100 C 100 | शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय 1; या |
| | गण ४ | ल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया वीं अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया , |
| | गरन । | ातर्ग (ग) (ग) (ग) गा (द) ये सारकित किसी पर्वा का काकित सेता काकित के |

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

(i) वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी के लिए :--

कोई भी व्यक्ति सेवा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को बत्तीस वर्ष से कम और पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो;

(ii) चिकित्सा अधिकारी के लिए :--

कोई भी व्यक्ति सेवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तिथि को बाईस वर्ष से कम और पैंतीस वर्ष से अधिक की आयु का हो:

नियुक्ति प्राधिकारी। 6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी ।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

आयु ।

5.

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो प्रचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जाएँगे।

8. कोई भी व्यक्ति-

9

- (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या बिवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुझेय है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

- (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :--
- (क) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :-अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ख) अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में:-निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ग) निदेशक रवास्थ्य सेवाएं की दशा में :- सिविल सर्जन में से पदोन्नित द्वारा ;
- (घ) सिविल सर्जन की दशा में :--

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ड.) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की दशा में :--

- (i) 75 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; •
- (च) चिकित्सा अधिकारी की दशा में :--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो परिवीक्षा। वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ;

परन्तुः –

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, नियत परिवीक्षा अवधि की दशा में गिनने के लिए अनुज्ञात की जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तू कोई भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित

निरहर्ताएं।

भर्ती का ढंग।

अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पद पर नियुक्त न किया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिनीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह:--

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता हे ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ता से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो :--
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुझात करें।
- (3) किसी व्यवित की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :---
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो :---
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिवित पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई सिंग्तेत पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थाई सिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई ख्यायी रिक्ति न हो, तो धोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षाधीन अवधि संतोषजनक ढग से पूरी कर ली है;या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आवरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो--
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो तो उसे उसकी सेवा से हटा सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है वा उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञान करें ; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समापि। पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी. यदि कोई है शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नही रहेगी !

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:-

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येन्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया आयेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :--

- (क) सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा,
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे।

12. '(1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुवित प्राधिकारी द्वारा, हरिवाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी ख्यान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा;

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है--

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि--निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के मीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण; या

सेवा के सदस्यों को ज्येष्ठता।

सेवा करने का दायित्व।

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे, वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार द्वारा न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या अन्य निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा ।

(1) वेतन छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन निवमों में स्पष्ट रूप से 13. उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्रधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को प्राईवेट प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा।

(3) पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम-11 के नियम 4.2 क के अधीन छूट उक्त नियमों में यथा परिकल्पित साधारण निबन्धनों तथा शर्तों पर अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव सहित पैंशन के लाभों के प्रयोजन के लिए सेवा के सदस्यों को अनुज्ञेय होगी।

(1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदरय रामय-समय पर यथा अनुशासन, शास्तियां 14. संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम. 1987 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए संशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के लंकिधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्धिष्ट 81

(2) हारेसाणा सिविल (दण्ड तथा अधील) नियम 1987 के नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड ग तथा म के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी जो नियमों के परिशिष्ट (ध) में यथा विनिर्दिष्ट हे ।

सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष था साधारण आदेश टीका लगवना। 15. द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा ।

सेंग के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथारथापित भारत राजनिष्ण की शाध। 16. के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

जहां सरकार की राय में, इन नियनों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह बील देने की शक्ति। 17. कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति अधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष 18. दिशेष उपबन्ध। निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

इन नियमों में दी कोई भी बात, अरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशो के 19. आरक्षण। अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वगौं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रमावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गयं आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

हरियाण। सिविल चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1981 तथा हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (श्रेणी II) 20. नियम 1978 इसके द्वारा, निरसित किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएगी ।

निरसन तथा व्यावृति।

तथा अपीलें।

वेतन, छुद्रुटी, पैंशन तथा

अन्य मामले।

| क म संख्या | पदनाम | पदनाम पदों की संख्या | | वेतनमान | |
|---------------|------------------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | जोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | £ 4 | 5 | 6 |
| 1 | महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | 1 | 1 | 2 | र 67000/-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) -79000/-+ एन॰पी॰ए॰ |
| 2 | अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | - | 1 | 1 | ₹37400-67000+ जी०पी० 9800/- पी०बी०4+ एन०पी०ए० |
| 3 | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | 2 | 2 | 4 | ₹ 37400-67000+ जी०पी० 9500/- पी०बी०4+ एन०पी०ए० |
| 4 | सिविल सर्जन | 23 | 10 | 33 | ₹ 37400-67000+ जी०पी० 8700/- पी०बी०4+ एन०पी०ए० |
| 5 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 188 | 254 | 442 | ₹ 15600-39100+ जी०पी० 7600/- पी०बी०3+ एन०पी०ए० |
| 6 | चिकित्सा अधिकारी | 1231 | 1329 | 2560 | ′ ₹ 15600-39100+ जी०पी० 5400/- पी०बी० 3+ एन०पी०ए० |

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

. .

परिशिष्ट ख

 s^{j}

٠.

(देखिए नियम 7)

| कम संख्या | पदनाम | सीघी मर्ती के लिए शैक्षणिक अईताएं तथा अनुमव, यदि कोई हो | सीधी मर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुमव, यदि कोई हो |
|--------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | . 3 | 4 |
| 1 | महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | | पदोन्नति द्वारा अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर । |
| 2 | अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | | पदोन्नति द्वारा निद्देशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर । |
| . 3 | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | | भदोन्नति द्वारा सिविल सर्जनों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर । |
| 4 | सिविल सर्जन | | पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर । |
| 5 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | (i) एम0सी0आई0 द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम0डी0 या एम0एस0 डिग्री या पी0जी0 डिप्लोमा (ii) एम.डी. / एम.एस. उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय / अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा; या पी0जी0 डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में सात वर्ष की प्रतिष्ठा; या एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद | (i) एम0सी0आई0 द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम0डी0 या एम0एस0 डिग्री य पी0जी0 डिप्लोमा (ii) एम.डी. / एम.एस. उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय / अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा; |
| | | रग.बा.बा.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव एम0डी0 / एम0एस0 उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए; या एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पी0जी0 डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए; | |

7

2701

`.

| | | (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् या भारतीय संघ में किसी राज्य चिकित्सा परिषद् से चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत; (iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा के स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान | एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अधवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पीठजी0 डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए; (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् या भारतीय संघ में किसी राज्य चिकित्सा परिषद् से चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत; (iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा के स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान |
|-----|------------------|---|---|
| 6 f | विकित्सा अधिकारी | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय या संस्था से चिकित्सा तथा सर्जरी में स्नाराक | स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय या संस्था से चिकित्सा तथा सर्जरी में स्नातक |
| | | (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् या भारतीय संघ में किसी राज्य चिकित्सा परिषद से चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत: (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा के स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का | (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् या भारतीय संघ में किसी राज्य चिकित्सा परिषद् रो चिकित्सा व्यवनायी के रूप में पंजीकृत, (iii) मैट्रिक था उच्चतर शिक्षा के स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान |
| | | ज्ञान अधिमान – भारतीय चिकित्सा परिषद सं मान्यता प्राप्त एम०डी० / एम०एस० / पी०जी० डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा । | अधिमान भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त एम०डी० / एम०एस० / पी०जी० डिप्लोमा रखने वाले जम्भीदवार को अधिमान दिया जाएगा । |

| क्र० संख्या | भदनाभ | नियुक्ति प्राधिकारी | { देखिए निथम 14(1)} शक्तियों का स्वरूप | शक्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी | अपील अधिकारी |
|----------------|--|------------------------|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 31 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. | मह्यनिदेशक, स्वास्थ्थ सेवाएं अपर महानिदेशक, | सरकार | लघु शक्तियां (i) वैयक्ति फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति एखते हुये चेतावनी । (ii) परिनिन्दा; | सरकार | सरकार |
| | स्वास्थ्य सेवाएं | | (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों की उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी | 12° | Ŕ |
| 3. | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | се. _е . | तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वागित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य | | - |
| 4. | सिविल सर्जन | | विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की येतन से | 124 | |
| 5. | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | | वसूली; (v) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना li. बड़ी शक्तियां | ×., | • |
| 3. | चिकित्सा अधिकारी | | (vi) रांचयी प्रयाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सभयमान में | | |
| | | | निम्नतर प्रकम तर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के तौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या | | |
| | 8 | | नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति एसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थापित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; | | |
| | | | (viii) निग्नतर चेतनभान, ग्रेड पद था सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसे वह अवनत किया यया था, पदोन्नति के लिये साधारणतयः | | |
| | | | रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बडाली सम्बन्धी और उसकी ज्येब्ठता तथा उस | | |
| | | 201 9 | ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के वारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति; | | |
| | | ļ | (x) आनुपाय संवालवृत्त; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निर्हता नहीं होगा; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी | | |
| | | | प्रिंग संयों से पदच्युति जो। सरकार के अधान माता — नियोजन के लिये सामान्यतः निर्रहता होगी । | | • |

:

: i

•

परिशिष्ट ग [देखिए नियम 14(1)]

परिशिष्ट घ { देखिए नियम 14(2)}

| क्र० संख्या | पदनाम | आदेश का स्वरूप | आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकरी |
|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 ' | 3 | . 4 * * |
| 1. 2. | महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | (i) पैंशन का नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य / अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; | सरकार |
| 3. | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | (ii) अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति। | |
| 4. | सिविल सर्जन | | |
| 5. | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | (952 | |
| 6. | चिकित्सा अधिकारी | 5 | |

नवराज संघू, अपर मुख्य साचेव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2014

No.25/7/2007-6HB1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Civil Medical (Group-A) Service, namely:-

Part I: GENERAL

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Medical (Group-A) Service Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
 - (b) "direct appointment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in the Service of the Government of India or any State Government;
 - (c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (d) "institution" means-
 - (i) an institution established by law in force in the State of Harvana; or
 - (ii) any other institution recognized by he Government for the purpose of these rules;
 - (e) "recognised university" means-
 - (i) university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules; and
 - (f) "Service" means the Haryana Civil Medical (Group-A) Service.

Part II: RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise of the posts shown in Appendix-A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) 'a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

Number and character of posts.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

Short title and commencement.

Definitions.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

(i) For Senior Medical Officer:-

No person shall be appointed to the post of Senior Medical Officer in the Service by direct recruitment who is less than thirty-two years and more than forty five years of age on the last date of submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

(ii) For Medical Officer:-

No person shall be appointed to the post of Medical Officer in the Service by direct recruitment who is less than twenty-two years and more than thirty five years of age on the last date of submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by Government.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Government in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

No person, -

9.

5.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage exempt any person from the operation of this rule.

- (1) Recruitment to the Service shall be made, -
 - (a) in case of Director General Health Services,-

by promotion from amongst Additional Director General Health Services;

(b) in case of Additional Director General Health Services,-

by promotion from amongst Director Health Services;

(c) in case of Director Health Services,-

by promotion from amongst Civil Surgeons;

- (d) in case of Civil Surgeon,
 - by promotion from amongst Senior Medical Officers;
- . (e) in case of Senior Medical Officer,-
 - (i) 75% by promotion from amongst Medica! Officers; and
 - (ii) 25% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer/deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India;
 - (f) in case of Medical Officer,-
 - (i) by direct recruitment; or

2706

Age

Appointing Authority. Qualification and experience

Disqualifications.

Method of recruitment,

(ii) by transfer/deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two Prebation. years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise:

Provided that-

- any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a (a) higher post shall count towards the period of probation;
- any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post (b) in the Service, may, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a persoa during the period of probation is not satisfactory, it may-

- (a) if such a person is appointed by direct recruitment, dispense with his services, and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous (ii) appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory
 - confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a (i) permanent vacancy; or
 - confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if (ii) appointed against a temporary vacancy; or
 - declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent (iii) vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory
 - dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed (i) otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of their Seniority of members continuous service on any post in the Service:

of Service.

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer, and
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members, in the appointments from which they were promoted or transferred.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered to do so by the appointing authority.

- (2) A member of Service may also be deputed to serve under,-
 - (i) a company, an association or a body of individuals; whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority within the State of Haryana; or
 - (ii) the Central Government, or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the Competent Authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

(2) No member of the Service shall have the right of private practice.

(3) The concession under Rule 4.2-A of Punjab Civil Services Rules, Volume-II shall be admissible to the members of the Service for the purpose of pensionary benefits, with retrospective effect on the date of their retirement on superannuation on usual terms and conditions as envisaged under the said Rules.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed and the authority empowered to impose such penalties shall subject to the provision of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix-D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Pay, Leave, Pension and other matters.

Discipline, penalties and appeals.

Vaccination.

Oath of allegiance.

2708

Liability to serve.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class Power of relaxation. or category of persons.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special Special Provision. terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be Reservations. 19. provided for scheduled castes, backward classes or ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category or persons, in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made in respect of all reserved categories shall not exceed fifty percent at any time.

20. The Haryana Civil Medical (Group A) Service Rules, 1981 and the Haryana Civil Medical Repeal and Savings. Service (Class II) Rules, 1978 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken or pending under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

| Sr. No. | Designation of Posts | Number of Post | | | Scale of Pay | |
|------------|--|----------------|-----------|-------|--|--|
| | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | Permanent | Temporary | Total | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Director General Health Services | 1 | 1 | 2 | ₹ 67000/-(annual increment @ 3%) -79000/- + NPA | |
| 2. | Additional Director General Health Services | - | . 1 | 1 | ₹ 37400-67000+ GP 9800/-PB4+NPA | |
| 3. | Director Health Services | 2 | 2 | 4 | ₹ 37400-67000+ GP 9500/-PB4+NPA | |
| 4. | Civil Surgeon | 23 | 10 | 33 | ₹ 37400-67000+ GP ₹ 8700/-PB4+NPA | |
| 5. | Senior Medical Officer | 188 | 254 | 442 | ₹ 15600-39100+ GP ₹ 7660/-PB3+ NPA | |
| 6. | Medical Officer | .1231 | 1329 | 2560 | ₹ 15600-39100+GP ₹ 5400-PB3+NPA | |

APPENDIX 'A'

(See rule 3)

٩.

APPENDIX "B"

(See rule 7)

| Serial No. | Designation of posts | Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualifications and experience, if any, for appointment otherwise than by direct recruitment |
|---------------|---|--|--|
| 1 | 2 | . 3 | 4 |
| 1. | Director General Health Services | | By Promotion – On the basis of Seniority-cum-merit from amongst the Additional Director General Health Services |
| 2. | Additional Director General Health Services | | By Promotion - On the basis of Seniority-cum-merit from amongst the Director Health Services. |
| 3. | Director Health · Services | | By Promotion - On the basis of Seniority-cum-merit from amongst the Civil Surgeons. |
| 4. | Civil Surgeon | | By Promotion - On the basis of Seniority-cum-merit from amongst Senior Medical Officers. |
| . 5. | Senior Medical Officer | (i) MD or MS degree or PG diploma recognized as such by MCI; and (ii) Five years standing in medical profession/hospital experience after acquiring the MD/MS degree; or Seven years standing in medical profession/hospital experience after acquiring the PG diploma; or Ten years experience as Medical Officer under any state or central government after passing MBBS out of which at least two years experience should be after acquiring the MD/MS degree; or Twelve years experience as Medical Officer under any state or central government after passing MBBS out of which at least two years experience should be after acquiring the MD/MS degree; or Twelve years experience as Medical Officer under any state or central government after passing MBBS out of which at least three years experience should be after acquiring the PG diploma; and (iii) Registered as Medical Practitioner with Medical Council of India or any other State Medical Council in Indian union; and (iv) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education. | By promotion- On the basis of seniority-cum- merit from amongst Medical Officers having atleast eight years experience in HCMS. By transfer/deputation – MD or MS degree or PG diploma recognized as such by MCI ; and Five years standing in medical profession/hospital experience after acquiring the MD/MS degree; or Seven years standing in medical profession/ hospital experience after acquiring the PG diploma; or Ten years experience as Medical Officer under any state or central government after passing MBBS out of which at least two years experience should be after acquiring the MD/MS degree; or |
| | 2 | | (iv) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education. |

2712

.

HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JULY 18, 2014 (ASAR. 27, 1936 SAKA)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------|--|--|
| 6. | Medical Officer | (i) Graduate in Medicine and surgery of a recognized University or any other | By transfer/deputation – |
| | ±1 | university or institution recognized by the Medical Council of India; and | (i) Graduate in Medicine and surgery of a recognized University or any other |
| | | (ii) Registered as Medical Practitioner with Medical Council of India or any other State | university or institution recognized by the Medical Council of India; and |
| | | Medical Council in Indian union; and | (ii) Registered as Medical Practitioner |
| | | (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education. | with Medical Council of India or any other State Medical Council in Indian union; and |
| | | Preference shall be given to candidates having MD/MS degree/PG Diploma recognized by MCI | (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education. |
| | | | Preference shall be given to candidates having MD/MS degree/PG Diploma recognized by MCI |

| Sr. No. | | | Authority empowered to impose penalty | Appellate Authority | |
|------------|--|------------|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Director General Health Services | Government | I. Minor Penalties _ (i) warning with a copy in the personal file (character roll); | Government | - |
| 2 | Additional | | (ii) censure;(iii) withholding of promotion; | | • |
| 3 | Director General Health | | (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach | | |
| 4 | Services | | of orders to the Central Government or a State Government or to a Company and association or | | 1.1 |
| 5. | Director Health Services | 1) | a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local | | e e |
| 6. | Civil Surgeon | | authority or university set up by an Act of parliament or of the legislature of a State; and | | |
| | Senior Medical Officer | • ~ | (v) withholding of increments of pay without cumulative effect. | | |
| | S 8 34 | | II. Major Penalties | 100 | |
| | Medical Officer | | (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect; | | |
| | | × | (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his | | |
| | | | pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the error of the error of the error of the service of the error of | | |
| | | | the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (ix) compulsory retirement; | | |
| | | | (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; | | |
| | | | (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government. | | |

APPENDIX C [See Rule 14 (1)]

.

| Sr. No. | Designation of Posts | Nature of order | Authority competent to make order |
|---------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 . | 4 |
| 1. | Director General Health Services | (a) reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension. | Government |
| 2 | Additional Director General Health Services | (b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for | B |
| 3 | Director Health Services | superannuation. | |
| 4 | Civil Surgeon | | |
| 5 | Senior Medical Officer | | |
| 6. | Medical Officer | | 18 |

APPENDIX-D

[See Rule 14 (2)]

NAVRAJ SANDHU,

Additional Chief Secretary to Government Haryana, Health Department